फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**रतना बालदिया**
किस्म मुकदमा :– 53 आरटीएक्ट

विपक्षी :–**घासी**
पत्रावली संख्या :–**56/08 वाद**
जीसीएमएस नम्बर :–**2008/00009**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 23.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी रतना पिता लालु बालदिया की मृत्यु हो गई है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में रतना के वारिसान देवीलाल, प्रथा, राधेश्याम, रामलाल पुत्र रतना, चान्दी, सीता पुत्री रतना, जमना पुत्री रतना के नाम दर्ज है। उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में रतना पिता लालु के वारिसान से सम्पर्क किया गया। रतना के वारिसान उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना नही करवाना चाहते है और प्रारम्भिक डिक्री करवाने से इन्कार किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है की प्रकरण में दिनांक 27.05.2008 को एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। प्रकरण वादी रतना पिता लालु बालदिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसका निधन हो चुका है। वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में वादी के वारिसान का नाम दर्ज हो चुका है। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना करने से पूर्व मौके पर पटवारी हल्का को भेजा गया। जिसमें वादी रतना के वारिसान द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया गया। चुंकि प्रकरण में वादी का निधन हो चुका है जिसकी वारिस कायमी करवाई नही गई है। वादी के वारिसान विभाजन करवाना नही चाहते है। ऐसे में प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। वैसे उक्त वाद केवल मात्र विभाजन का है। इसलिए वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन का नया वाद प्रस्तुत करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए खारिज किया जाना उचित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विभाजन का नया वाद प्रस्तुत करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए वाद वादी इस स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया। Signature Not Verified (रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia उपखण्ड अधिकारी Date: 2026.04.16 15:50:29 IST मावली Reason: SelfAttested	